न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :–06 / 2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2024 / 69)

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

---------- प्रार्थी

बनाम

श्रीदेवी पत्नी श्री हरिचरण निवासी शिवनगर पोखरा शहर धौलपुर।

---------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

2 – अप्रार्थी की ओर से :– ---

निर्णय *दिनांक* **17.02.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 24.09.2024 को टीम के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्रीदेवी पत्नी हरिचरण निवासी पोखरा शहर धौलपुर के मकान पर घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त मकान में कुल जब्तशुदा 06 घरेलू गैस मय एल.पी.जी. गैस 84.7 किग्रा. पाये गये। मौके पर जॉच दल के समक्ष मकान पर उपस्थित महिला ने स्वंय को श्रीदेवी पत्नी हरिचरण निवासी पोखरा शहर धौलपुर होना बताया और पर्याप्त समय दिये जाने पर भी उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके से कुल 06 घरेलू गैस मय एल.पी.जी. गैस 84.7 किग्रा. जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का बिना वैध दस्तावेजजों के अवैध भण्डारण करने पर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर उक्त जब्तशुदा सामग्री को धौलपुर शहर स्थित मैसर्स शिवेन गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री हेमंत पुत्र राजवीर की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी गैस 84.7 किग्रा. को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित फोटोप्रति फर्द मौका, जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा नजरी नक्शा पेश किये है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें । अपीर्थी को जारी नोटिस की तामील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के जरिये कराई गई। अप्रार्थी ने नोटिस लेने से मना किया। नोटिस घर के दरवाजे पर चस्पा किया जाकर तामील कराई गई। अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थीया के विरूद्व दिनांक 27.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गइ। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सहायक लोक अभियोजक सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी का पर्याप्त समय दिये जाने पर भी उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। मौके से कुल 06 घरेलू गैस मय एल.पी.जी. गैस 84.7 किग्रा. जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का बिना वैध दस्तावेजजों के अवैध भण्डारण करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 24.09.2024 को प्रार्थी के द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर की टीम के साथ अप्रार्थीया के मकान पर घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त मकान में कुल जब्तशुदा 06 घरेलू गैस मय एल.पी.जी. गैस 84.7 किग्रा. पाये गये। मौके पर जॉच दल द्वारा अप्रार्थीया को पर्याप्त समय दिये जाने पर भी उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके से कुल 06 घरेलू गैस मय एल.पी.जी. गैस 84.7 किग्रा. जब्त किये गये। अप्रार्थीया द्वारा नोटिस लेने से मना किया गया है। धारा 6ए ई.सी.एक्ट के तहत जब्त सामान को अपनाने से मना किया है, चुंकि जब्तशुदा सामान को लेने कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा मकान में उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का बिना वैध दस्तावेजजों के अवैध भण्डारण करने पर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया गया है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस 84.07 किग्रा. राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त

जिला कलक्टर
धौलपुर

पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निरस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★